रेस्टो

माननीय म.प्र.राजस्व मण्डल, ग्वालियर

विविध आवेदन / रेस्टोरेशन क्रमांक 1083 / 2012-13

आवेदक– — नौनिता रेस्टो - 9017-I-16

पुत्र श्री निरमा चमार

उम्र 80 वर्ष

व्यवसाय – कृषक मजदूर

निवासी–ग्राम महूआलमपुर तहसील 0

जिला अशोकनगर (म.प्र.)

3-2-16

विरूद्ध

अनावेदकगण– गुमान सिंह आदि

प्रकरण कमांक 4083 / 2012–13 जो आदेश दिनांक 06 / 01 / 2016 को माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक के अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त कर दी गई है, को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु–

आवेदक की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. यह कि, आवेदक द्वारा उपरोक्त निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत की है ।
2. यह कि, उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु दिनांक 06 / 01 / 2015 तारीख नियत थी उक्त दिनांक को आवेदक अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरणों में व्यस्त होने के वजह से समय पर श्रीमान के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका ।
3. यह कि, आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण अदम पैरवी में श्री मान न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है । उक्त आशय की जानकारी आवेदक अभिभाषक द्वारा कई बार सक्षम बाबूजी से सम्पर्क करने एवं निर्धारित केस डायरी में उक्त प्रकरण की फाईल का निरीक्षण करने की आग्रह करने के बाद भी नहीं हो सकी, की आखिर प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई है । किन्तु दिनांक 02 / 02 / 2016 को प्रकरण की जानकारी हुई की प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया है । उक्त आधार पर आज दिनांक को आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण के रेस्टोरेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत है ।

प्र०क्र० 9017-II/16 आलोकमा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाव आदि के हस्ताक्षर
1/8/16	आवेदक अधि० को समय-समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य पुनश्च: आवेदक अधि० श्री आलोक श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया कि दिनांक 3/8/16 तक MPT.C को नगद Rs. 500/- कास्ट के रूप में जमा करने पर रेस्टो० आवेदन विविध क्रमांक R-4083-II/12 पुनः नस्ती पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः रेस्टो० आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	उपस्थित 1/8/16